# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–10 / 2022 राजस्व वाद

उनवान

1. सत्यनारायण बिल्डटेक प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर श्री कैलाशचंद्र पिता रामस्वरूप जी कोठारी निवासी होटल हर्षदीप के पास, सर्किट हाउस के सामने भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा। वादी

बनाम

1. प्रभुलाल पिता मालु गाडोलिया उम्र वयस्क निवासी कीरखेड़ा आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा
2. शिवराजसिंह पिता बंशीलाल चौहान उम्र वयस्क निवासी कीरखेड़ा आरजिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. मुरली पिता रामलाल जाट उम्र वयस्क निवासी कीरखेड़ा आरजिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजूलाल पिता जगदीश कीर उम्र वयस्क निवासी कीरखेड़ा आरजिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रामेश्वरलाल पिता बद्रीलाल पांडिया उम्र वयस्क निवासी कीरखेड़ा आरजिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. हमीरसिंह पिता कल्याणसिंह चौहान उम्र वयस्क निवासी कीरखेड़ा आरजिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तग्रत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादपत्र वादी की आराजियात से प्रतिवादीगण की बेदखली कराकर वादी को कब्जा दिलाये जाने बाबत्**

उपस्थित :–

1– अधिवक्ता वादी श्री भैरूलाल जी बापना

2– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02,.03, 04, 06 दूधाराम कुमावत

3. प्रतिवादी संख्या 05 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

**: निर्णय :**

दिनांकः– 20.08.2024

वादी वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी सत्यनारायण बिल्डटेक प्रा0 लि0 359 / 3 स्ट्रीट नं0 5 भोलानाथ नगर, शाहदरा नई दिल्ली का पता होटल हर्षदीप के पास सर्किट हाउस के सामने, भीलवाड़ा जरिये डायरेक्टर कैलाशचन्द्र पिता रामस्वरूप जी कोठारी के नाम पर हो गया है जिसका मेमोरेण्डम वादपत्र के साथ पेश है। ग्राम भदालीखेड़ा पटवार क्षेत्र आरजिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में वादी के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजियात 648 / 5, 648 / 7, 648 / 8 कुल किता 03 कुल रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। मुझ वादी की उक्त आराजियात के दक्षिण पूर्व में आम रास्ता सं0 646 है और उसके दक्षिण पूर्व में आबादी की आराजी नं0 647 है अर्थात मुझ वादी की उक्त आराजियात व रास्ता संख्या 646 के मध्य Abadi की कोई भी भूमि नहीं है। वादी की उक्त

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

आराजियात रास्ता संख्या 646 से जुड़ी हुई है। दिनांक 07.02.2020 को प्रतिवादीगण ने मुझ वादी की उक्त भूमि पर अनाधिकार कब्जा करने व उस पर निर्माण कार्य कराने की धमकी दी जिस पर मुझ वादी ने दिनांक 17.02.2020 को धारा 188–92ए रा0 टी0 ए0 के तहत एक वादपत्र संख्या 29/2020 न्यायालय उपखण्ड भीलवाड़ा में प्रस्तुत किया जिसके साथ धारा 212 रा0 टी0 ए0 के तहत एक प्रार्थनापत्र संख्या 68/2020 भी प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 18.02.2020 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी कि प्रार्थी वादी को उक्त आराजियात से बेदखल नहीं करे एवं मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। न्यायालय उपखण्ड भीलवाड़ा द्वारा उक्त स्थगन आदेश जारी किए जाने से उस वक्त तो प्रतिवादीगण वादी की उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर कोई निर्माण कार्य नहीं कर सके किन्तु इसके बाद मार्च 2020 व 2021 में कोरोना महामारी की वजह से लोकडाउन लग गया और जून 2021 में प्रतिवादीगण ने वादी की अनुपस्थिति में उक्त स्थगन आदेश कायम रहने के बावजूद भी वादी की उक्त आराजियात के दक्षिण पूर्वी भाग में अतिक्रमण कर लिया जिसका विवरण इस प्रकार है–

| क0 सं0 | नाम अतिक्रमी प्रतिवादी | वादी की जिस आराजी में अतिक्रमण किया गया उसका विवरण | अतिक्रमित क्षेत्रफल/नाप (फिट में) |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रभुलाल पिता मालु गाडोलिया<br>प्रतिवादी संख्या 01 | 648/5 | पूर्वी भुजा – 36.9 फिट<br>पश्चिमी भुजा –52 फिट<br>उत्तरी भुजा –46.7 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 51.7 फिट |
| 2 | शिवराजसिंह पिता बंशीसिंहचौहान<br>प्रतिवादी संख्या 02 | 648/5 | पूर्वी भुजा – 35.9 फिट<br>पश्चिमी भुजा –33.1 फिट<br>उत्तरी भुजा –42.10 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 46.7 फिट |
| 3 | मुरली पिता रामलाल जाट<br>प्रतिवादी संख्या 03 | 648/7 | पूर्वी भुजा – 22.2 फिट<br>पश्चिमी भुजा –22 फिट<br>उत्तरी भुजा –34 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 34 फिट |
| 4 | राजूलाल पिता जगदीश कीर<br>प्रतिवादी सख्या 04 | 648/7 | पूर्वी भुजा – 27.7 फिट<br>पश्चिमी भुजा –24 फिट<br>उत्तरी भुजा –34.2 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 34 फिट |
| 5 | रामेश्वरलाल पिता बद्रीलाल पांडिय<br>प्रतिवादी सख्या 05 | 648/7 | पूर्वी भुजा – 21.4 फिट<br>पश्चिमी भुजा –30 फिट<br>उत्तरी भुजा –42 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 34.2 फिट |
| 6 | हमीरसिंह पिता कल्याणसिंह चौहान<br>प्रतिवादी संख्या 06 | 648/8 | पूर्वी भुजा– 6+36.4=113.10 फिट<br>पश्चिमी भुजा – 111.8 फिट<br>उत्तरी भुजा –40फिट<br>दक्षिणी भुजा – 42.10 फिट |

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण का मुझ वादी की उक्त भूमि में कब्जा व निर्माण सरासर नाजायज है जिसको पुलिस इमदाद से हटाया जाकर प्रतिवादीगण को वादी की उक्त आराजियात से बेदखल किये जाने की डिक्री वादी के पक्ष में पारित कराया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 7 लैण्ड होल्डर होने से उनका यह दायित्व है कि वे कृषि भूमि पर कोई भी अकृषि कार्य जैसे मकान निर्माण आदि नहीं होने देवे और इस वादग्रस्त भूमि का कृषि स्वरूप कायम रखे। राज्य हित के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है जिससे उन्हे धारा 80 (2) जा0 दी0 का Notice दिये बिना ही यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। धारा 80 (2) जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अत वादी प्रार्थना करता है कि वाद अनुसार कब्जेयाबी आराजियात की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित करवायी जाकर ग्राम भदालीखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित वादी के खातेदारी अधिकार की आराजियात सं0 648/5, 648/8 व 648/7 कुल किता 03 कुल रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा में वादपत्र की धारा संख्या 5 में अंकित अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा किये गये नाजायज अतिक्रमण मय निर्माण को पुलिस इमदाद से हटाया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कराया जावे और उक्त आराजियात का रिक्त आधिपत्य वादी को प्रदान कराया जावे। इस वाद का समस्त व्यय व अभिभाषक शुल्क वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो बहक वादी हो दिलाया जावे।

वादी का वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04, 06 की ओर से वकालतनामा दिनांक 16.03.2022 को पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अन्डर टेकिंग अंकित की गई लेकिन वकालतनामा पेश नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 04, 06 के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 13.03.2024 को जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण साक्ष्यवादी में नियत किया गया। साक्ष्यवादी में शपथ पत्र कैलाशचन्द्र पिता रामस्वरूप कोठारी का पेश हुआ मुख्य परीक्षण करवाया । दस्तावेजी प्रदर्श करवाये गये। जमाबन्दी नकल आराजी नम्बर 648/5, 648/7, 648/8 की प्रदर्श 1 व 2 है। नक्शा ट्रेस की प्रति प्रदर्श 3 है। टोटल सर्वे प्लॉन प्रदर्श 4 है। मेमोरेण्डम की प्रति प्रदर्श 5 है। आर्टिकल एशोसियेशन की प्रति प्रदर्श 6 है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर की प्रति प्रदर्श 7 है। वर्तमान डायरेक्टर की सूची प्रदर्श 8 है। सत्यनारायण बनाम हमीर सिंह वगैरहा में पारित स्टे प्रति प्रदर्श 9 है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में ग्राम कीरो का खेड़ा पटवार हल्का आरजिया भू अ0 नि0 क्षेत्र सांगानेर तह0 भीलवाड़ा अंतिम चौसाला सम्वत 2070-2073 की प्रतिलिपि खाता संख्या 38 की पेश की गई। आराजी नं0 648/5, 648/7, 648/8 श्री सत्यनारायण बिल्डटेक प्रा0 लि0 के नाम खातेदार दर्ज है। खसरा नक्शा आराजी नं0 648/5, 648/7, 648/8 की फोटोप्रति संलग्न की है। वादग्रस्त आराजी का Blue Print नक्शा संलग्न किया। वादी आराजी नम्बर 648/5, 648/7, 648/8 का खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वादी की खातेदारी भूमि में निम्न व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। जिसका विवरण इस प्रकार है–

| क्र0 सं0 | नाम अतिक्रमी प्रतिवादी | वादी की जिस आराजी में अतिक्रमण किया गया उसका विवरण | अतिक्रमित क्षेत्रफल/नाप (फिट में) |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रभुलाल पिता मालु गाडोलिया<br>प्रतिवादी संख्या 01 | 648/5 | पूर्वी भुजा – 36.9 फिट<br>पश्चिमी भुजा –52 फिट<br>उत्तरी भुजा –46.7 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 51.7 फिट |

Ahad

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | शिवराजसिंह पिता बंशीसिंह चौहान प्रतिवादी संख्या 02 | 648/5 | पूर्वी भुजा – 35.9 फिट<br>पश्चिमी भुजा –33.1 फिट<br>उत्तरी भुजा –42.10 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 46.7 फिट |
| 3 | मुरली पिता रामलाल जाट प्रतिवादी संख्या 03 | 648/7 | पूर्वी भुजा – 22.2 फिट<br>पश्चिमी भुजा –22 फिट<br>उत्तरी भुजा –34 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 34 फिट |
| 4 | राजूलाल पिता जगदीश कीर प्रतिवादी सख्या 04 | 648/7 | पूर्वी भुजा – 27.7 फिट<br>पश्चिमी भुजा –24 फिट<br>उत्तरी भुजा –34.2 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 34 फिट |
| 5 | रामेश्वरलाल पिता बद्रीलाल पांडिया प्रतिवादी सख्या 05 | 648/7 | पूर्वी भुजा – 21.4 फिट<br>पश्चिमी भुजा –30 फिट<br>उत्तरी भुजा –42 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 34.2 फिट |
| 6 | हमीरसिंह पिता कल्याणसिंहचौहान प्रतिवादी संख्या 06 | 648/8 | पूर्वी भुजा– 6+36.4=113.10 फिट<br>पश्चिमी भुजा – 111.8 फिट<br>उत्तरी भुजा –40फिट<br>दक्षिणी भुजा – 42.10 फिट |

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी की उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा होने से बेदखल किए जाने की डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएवं

## –: Order :–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 ए0 का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भदालीखेड़ा तह0 भीलवाड़ा में स्थित वादी के खातेदारी अधिकार की आराजियात संख्या 648/5, 648/7, 648/8 कुल किता 03 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण मय निर्माण निम्न तालिका अनुसार हटाए जाने के अर्थात बेदखल करने के आदेश प्रदान किए जाते है–

| क्र0 सं0 | नाम अतिक्रमी प्रतिवादी | वादी की जिस आराजी में अतिक्रमण किया गया उसका विवरण | अतिक्रमित क्षेत्रफल/नाप (फिट में) |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रभुलाल पिता मालु गाडोलिया प्रतिवादी संख्या 01 | 648/5 | पूर्वी भुजा – 36.9 फिट<br>पश्चिमी भुजा –52 फिट<br>उत्तरी भुजा –46.7 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 51.7 फिट |
| 2 | शिवराजसिंह पिता बंशीसिंह चौहान प्रतिवादी संख्या 02 | 648/5 | पूर्वी भुजा – 35.9 फिट<br>पश्चिमी भुजा –33.1 फिट<br>उत्तरी भुजा –42.10 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 46.7 फिट |

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | मुरली पिता रामलाल जाट<br>प्रतिवादी संख्या 03 | 648/7 | पूर्वी भुजा – 22.2 फिट<br>पश्चिमी भुजा –22 फिट<br>उत्तरी भुजा –34 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 34 फिट |
| 4 | राजूलाल पिता जगदीश कीर<br>प्रतिवादी सख्या 04 | 648/7 | पूर्वी भुजा – 27.7 फिट<br>पश्चिमी भुजा –24 फिट<br>उत्तरी भुजा –34.2 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 34 फिट |
| 5 | रामेश्वरलाल पिता बद्रीलाल पांडिया<br>प्रतिवादी सख्या 05 | 648/7 | पूर्वी भुजा – 21.4 फिट<br>पश्चिमी भुजा –30 फिट<br>उत्तरी भुजा –42 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 34.2 फिट |
| 6 | हमीरसिंह पिता कल्याणसिंह चौहान<br>प्रतिवादी संख्या 06 | 648/8 | पूर्वी भुजा– 6+36.4=113.10 फिट<br>पश्चिमी भुजा – 111.8 फिट<br>उत्तरी भुजा –40फिट<br>दक्षिणी भुजा – 42.10 फिट |

तहसीलदार भीलवाड़ा उपरोक्त अवैध अतिक्रमण व निर्माण से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए हटाने की कार्यवाही करे एवं पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकारो का उपयोग करते हुए बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित करे। वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण के अवैध अतिक्रमण व निर्माण को हटाने में होने वाले व्यय का भुगतान वादी द्वारा वहन किया जावेगा। तहसीलदार भीलवाड़ा उपरोक्तानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करे। तदानुसार डिक्री जारी करे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

1. सत्यनारायण बिल्डटेक प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर श्री कैलाशचंद्र पिता रामस्वरूप जी कोठारी निवासी होटल हर्षदीप के पास, सर्किट हाउस के सामने भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा।

वादी

बनाम

1. प्रभुलाल पिता मालु गाडोलिया उम्र वयस्क निवासी कीरखेड़ा आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा
2. शिवराजसिंह पिता बंशीलाल चौहान निवासी कीरखेड़ा आरजिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. मुरली पिता रामलाल जाट निवासी कीरखेड़ा आरजिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजूलाल पिता जगदीश कीर निवासी कीरखेड़ा आरजिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रामेश्वरलाल पिता बद्रीलाल पांडिया निवासी कीरखेड़ा आरजिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. हमीरसिंह पिता कल्याणसिंह चौहान निवासी कीरखेड़ा आरजिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तग्रत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादपत्र वादी की आराजियात से प्रतिवादीगण की बेदखली कराकर वादी को कब्जा दिलाये जाने बाबत्**

प्रकरण संख्या 10/2022 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल जी बापना उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04, 06 की ओर से अधिवक्ता श्री दूधाराम कुमावत उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 05 अनुपस्थित में– इस वाद में आज तारीख 20.08.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 ए0 का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भदालीखेड़ा तह0 भीलवाड़ा में स्थित वादी के खातेदारी अधिकार की आराजियात संख्या 648/5, 648/7, 648/8 कुल किता 03 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण मय निर्माण निम्न तालिका अनुसार हटाए जाने के अर्थात बेदखल करने के आदेश प्रदान किए जाते है–

| क0 सं0 | नाम अतिकमी प्रतिवादी | वादी की जिस आराजी में अतिक्रमण किया गया उसका विवरण | अतिकमित क्षेत्रफल/नाप (फिट में) |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रभुलाल पिता मालु गाडोलिया प्रतिवादी संख्या 01 | 648/5 | पूर्वी भुजा – 36.9 फिट |
| | | | पश्चिमी भुजा –52 फिट |
| | | | उत्तरी भुजा –46.7 फिट |
| | | | दक्षिणी भुजा – 51.7 फिट |
| 2 | शिवराजसिंह पिता बंशीसिंह चौहान प्रतिवादी संख्या 02 | 648/5 | पूर्वी भुजा – 35.9 फिट |
| | | | पश्चिमी भुजा –33.1 फिट |
| | | | उत्तरी भुजा –42.10 फिट |
| | | | दक्षिणी भुजा – 46.7 फिट |
| 3 | मुरली पिता रामलाल जाट प्रतिवादी संख्या 03 | 648/7 | पूर्वी भुजा – 22.2 फिट |
| | | | पश्चिमी भुजा –22 फिट |
| | | | उत्तरी भुजा –34 फिट |
| | | | दक्षिणी भुजा – 34 फिट |

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | राजूलाल पिता जगदीश कीर<br>प्रतिवादी सख्या 04 | 648 / 7 | पूर्वी भुजा – 27.7 फिट<br>पश्चिमी भुजा –24 फिट<br>उत्तरी भुजा –34.2 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 34 फिट |
| 5 | रामेश्वरलाल पिता बद्रीलाल पांडिया<br>प्रतिवादी सख्या 05 | 648 / 7 | पूर्वी भुजा – 21.4 फिट<br>पश्चिमी भुजा –30 फिट<br>उत्तरी भुजा –42 फिट<br>दक्षिणी भुजा – 34.2 फिट |
| 6 | हमीरसिंह पिता कल्याणसिंह चौहान<br>प्रतिवादी संख्या 06 | 648 / 8 | पूर्वीभुजा–<br>77.6+36.4=113.10 फिट<br>पश्चिमी भुजा –111.8 फिट<br>उत्तरी भुजा –40फिट<br>दक्षिणी भुजा –42.10 फिट |

तहसीलदार भीलवाड़ा उपरोक्त अवैध अतिक्रमण व निर्माण से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए हटाने की कार्यवाही करे एवं पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकारो का उपयोग करते हुए बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित करे। वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण के अवैध अतिक्रमण व निर्माण को हटाने में होने वाले व्यय का भुगतान वादी द्वारा वहन किया जावेगा। तहसीलदार भीलवाड़ा उपरोक्तानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करे।

(आ[illegible] निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा